


अपर उपायुक्त का न्यायालय, सरायकेला - खरसावों।

टी0ए0 मिस केस नं0- 01/2019-20

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
06/08/19	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक 1. निर्मल कु0 सोय, पिता-स्व0 उदय सोय 2. चन्द्रावती सोय, पिता स्व0 उदय सोय एवं 3. पार्वती सोय, पति स्व0 गंगा राम सोय जाति- मुण्डा (अ0ज0जा0) ग्राम रूचाव थाना - कुचाई, जिला-सरायकेला-खरसावों ने मौजा- रूचाव, थाना- कुचाई, थाना नं0- 17, खाता नं0- 01, खेसरा सं0-1372 रकवा - 0.28 एकड़ जमीन को क्रेता वर्षा रानी सोय, जाति मुण्डा (अ0ज0जा0) ग्राम - रूचाव थाना - कुचाई जिला-सरायकेला-खरसावों के पास पारिवारिक खर्च के वास्ते रुपये की आवश्यकता होने के कारण अनुमानित बाजार मूल्य 1,40,000.00 रू0 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) प्रोभिजो "ए" के अंतर्गत बेचने के लिए अनुमति हेतु अनुरोध किया है।</p> <p>आम सूचना निर्गत किया गया। किसी ने इस जमीन की बिक्री पर आपत्ति नहीं किया है। अंचल अधिकारी कुचाई ने अपने पत्रांक-837 दिनांक 23. 07.2019 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि क्रेता एवं विक्रेता दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। आवेदित भूमि की बिक्री करने के पश्चात आवेदक को 5.02 एकड़ भूमि बचती है और भूमिहीन नहीं होता है।</p> <p>उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक 1. निर्मल कु0 सोय, पिता-स्व0 उदय सोय 2. चन्द्रावती सोय, पिता स्व0 उदय सोय एवं 3. पार्वती सोय, पति स्व0 गंगा राम सोय जाति- मुण्डा (अ0ज0जा0) ग्राम रूचाव थाना - कुचाई, जिला-सरायकेला-खरसावों को उपरोक्त भूमि क्रेता वर्षा रानी सोय, जाति मुण्डा (अ0ज0जा0) ग्राम - रूचाव थाना - कुचाई जिला-सरायकेला-खरसावों को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) प्रोभिजो "ए" के अंतर्गत बिक्री करने की अनुमति दी जाती है।</p> <p style="text-align: right;">  अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावों। </p>	